कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/पेंशन–स्थिरी/शिक्षक संघ/2023–03845/26 दिनांक : यथा ई–साईन

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव,
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय : अध्यापक लेवल –1/ लेवल–2 पर नियुक्ति उपरान्त राजकीय सेवा में सीधी भर्ती से चयनित कार्मिकों के वेतन संरक्षण के संबंध में मार्गदर्शन बाबत्।

संदर्भ : वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक F-9(109)FD/Rules/2005 दिनांक 01.09.2025 एवं02.06.2026

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक (लेवल 1 व लेवल 2) का चयन राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अन्तर्गत विभिन्न भर्ती एजेन्सियों (आरपीएससी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड) एवं जिला परिषद् और निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से सीधी भर्ती/प्रतियोगी परीक्षा द्वारा समय– समय पर किया गया। इसके उपरांत सीधी भर्ती के माध्यम से इनका चयन राज्य सरकार की अन्य सेवा में होने पर कतिपय प्रकरणों में इनके द्वारा नव नियुक्ति पर वेतन का संरक्षण (Protection of pay) राजस्थान सेवा नियम के नियम 24 और 26 के तहत प्राप्त किया गया है।

वित्त विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 01.09.2025 में उल्लेख किया है कि :

"It has been clearly specified that the employees of State PSUs/Autonomous Bodies/Local Bodies/Panchayati Raj Institutions etc. are not Government servants. Therefore, if such employees are appointed in Government service through direct recruitment, the last pay drawn by them in their previous post is not admissible for protection under Rules 24 and 26 of Rajasthan Service Rules, 1951."

वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 05.05.2026 की पालना में राजकीय कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमानों, पदौन्नति, चयनित वेतनमान, एसीपी, एमएसीपी आदि में किये गये वेतन निर्धारणों की उनके सेवा अभिलखों से नियमों के परिप्रेक्ष्य में जांच का कार्य चल रहा है, जिसमें अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 01.09.2025 एवं 02.06.2026 के अनुसार उपर्युक्त माध्यम से चयनित तृतीय श्रेणी अध्यापको जिनका कालांतर में सीधी भर्ती के माध्यम से चयन राज्य सरकार की अन्य सेवा में हुआ है, उनको पूर्व में दिए गए वेतन संरक्षण की वसूली के आदेश विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांकः 01.09.2025 एवं 02.06.2026 की पालना में प्रसारित किये जा रहे है।

इसके विरोध में विभिन्न शिक्षक संघों द्वारा ऐसे कार्मिको की रिकवरी/कटौती को नहीं किये जाने के सम्बन्ध में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इस प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य निम्नानुसार हैः–

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 89 (2) में प्रावधान है कि –

"The Service may be divided into different categories, each category being divided into different grades, and shall consist of - (i)Village level workers; (ii) Gramsevikas Provided that selection for the posts specified in clause (iii) of sub-section (2) shall be made the State level.

(iii) [2]{Primary and Upper Primary School} teachers;

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.06.18 23:32:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22902676
M e-Sign

धारा 89(6A) में प्रावधान है कि –

"Appointment by direct recruitment on the posts specified in clause (iii) of sub-section (2) shall be made by a Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, in accordance with the rules made in this behalf by the State Government, from out of the persons selected for the posts by the Rajasthan Public Service Commission in accordance with the rules made by the State Government in this behalf:]"

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अन्तर्गत विभिन्न भर्ती एजेन्सियों (आरपीएससी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, सक्षत स्तर से अनुमोदित अन्य प्राधिकृत अभिकरण यथा जिला परिषद् और निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग) के माध्यम से सीधी भर्ती/प्रतियोगी परीक्षा द्वारा समय– समय पर किया गया है।

आरपीएससी के माध्यम से सीधी भर्ती/प्रतियोगी परीक्षा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी एवं अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् के माध्यम से नियुक्ति की कार्यवाही की गयी है।

जिला परिषद द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय) अध्यापक सीधी भर्ती/प्रतियोगी परीक्षा में जिला स्थापना समिति द्वारा वरियतानुसार चयनित अभ्यर्थियों को जिला परिषद के द्वारा सम्बंधित पंचायत समिति को आवंटित किया जाता है। तदुपरांत सम्बंधित पंचायत समिति द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन किया जाता है।

निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग से आयोजित सीधी भर्ती/प्रतियोगी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को वरियतानुसार जिला आवंटित कर संबंधित अभ्यर्थियों की सूची जिला परिषद को भिजवाई जाकर उनके माध्यम से जिले में नियुक्ति की कार्यवाही की जाती थी।

जिला स्थापना समिति, जिला परिषद से अनुमोदन उपरान्त इन अध्यापकों का स्थाईकरण जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (नियुक्ति अधिकारी) द्वारा किया जाता है।

इन अध्यापकों की वरिष्ठता जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (नियुक्ति अधिकारी) स्तर पर संधारित/अद्यतन की जाती है। इनकी पदौन्नतियां भी शिक्षा विभाग के द्वारा ही शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर की जाती है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देते हुए ग्यारहवीं अनुसूची में जोड़ा गया जिसके अन्तर्गत पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए। उन विषयों में से शिक्षा, जिसमें प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा शामिल है, को भी जोड़ा गया। जिसकी पालना में वर्तमान में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही में जिला परिषद की महत्ती भूमिका है, परन्तु इन तृतीय श्रेणी अध्यापकों का पैतृक विभाग शिक्षा विभाग ही है।

इसके अतिरिक्त इनका स्थानान्तरण भी शिक्षा विभाग के अधीन जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की आज्ञा क्रमांक एफ 4(66)पंराज/पीसी/2002/627 दिनांक 2.07.2003 में बिन्दु संख्या (VI) के अनुसार–

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.06.18 23:32:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22902676
M e-Sign

"हस्तान्तरित स्टाफ को वेतन भुगतान राज्य बजट/कोषालय अथवा पंचायती राज संस्था के पीडी खाते के माध्यम से किया जायेगा।

1. जिन हस्तांतरित स्टाफ के आहरण वितरण अधिकारी को पंचायती राज संस्था के अधीन किया जाएगा उनके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के नियंत्रण में रहते हुए हस्तान्तरित स्टाफ के वेतन का भुगतान राज्य बजट के वेतन मद से कोषालय से पूर्वानुसार किया जाता रहेगा। वेतन बिल पर हाजरी के प्रमाणीकरण की कार्यवाही संबंधित पंचायती राज संस्था के निर्देशानुसार की जाएगी।
2. जिन हस्तान्तरित स्टाफ के आहरण वितरण अधिकारी को पंचायती राज संस्था के अधीन नहीं दिया जा रहा है उनके वेतन का बजट संबंधित विभाग द्वारा पंचायत समिति/जिला परिषद् के पी.डी. खाते में स्थानान्तरित किया जाएगा और विभागवार बिल बनाकर उनके वेतन का भुगतान सम्बन्धित पंचायती राज संस्था द्वारा अपने पी.डी. खाते से किया जाएगा और इस कार्य के लिए संबंधित विभाग द्वारा पंचायती राज संस्था के अधीन मन्त्रालयिक/लेखा कर्मचारी उपलब्ध कराया जाएगा।"

तृतीय श्रेणी अध्यापकों का वेतन समसा/पीडी/राज्य निधी (आयोजना भिन्न) तीनो ही मदों से भुगतान हुआ है/हो रहा है। **(प्रति संलग्न)**

इन तृतीय श्रेणी अध्यापकों के चयनित वेतनमान/एसीपी/एमएसीपी भी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर स्वीकृत हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त पेंशन प्रकरणों में भी ऐसे कार्मिकों की तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रूप में की गई सेवा को पेंशन की गणना हेतु शामिल किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) की आज्ञा क्रमांक 4(2)पंराज/सशक्त/2010/10 जयपुर दिनांक 14.03.2011 के बिन्दु संख्या 09 में स्पष्ट किया गया है कि प्रारम्भिक शिक्षा के संदर्भ में वर्तमान व्यवस्था जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन है को ही पैतृक विभाग रखे जाने की व्यवस्था को लागू रखा जावें। **(प्रति संलग्न)**

अतः उक्त विवेचन के क्रम में मार्गदर्शन प्रदान करावें कि उक्त प्रकरणों में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 01.09.2025 एवं 02.06.2026 पूर्व के तृतीय श्रेणी अध्यापकों जिनका चयन बाद में सीधी भर्ती से राज्य सरकार की सेवा में हुआ है, पर लागू है अथवा नहीं।

सलंग्न : यथोक्त।

(सीताराम जाट)
I.A.S.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर एवं
पदेन अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),
समग्र शिक्षा अभियान (समसा), बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/पेंशन–स्थिरी/शिक्षक संघ/2023–03845/26 दिनांक : यथा ई–साईन
प्रतिलिति निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:

1. सहायक निदे ाक, सर्तकता अनुभाग, कार्यालय हाजा को उनके यू.ओ. नोट दिनांक 11.06.2026 के क्रम में।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.06.18 23:32:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22902676
M e-Sign

2. मुख्य महामन्त्री, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ, बीकानेर।
3. प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ (रेसला), जयपुर।
4. प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षा विभागीय कर्मचारी कल्याण संघ, समस्त संवर्ग।
5. प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील, बाड़मेर।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर